

बिहार सरकार  
वाणिज्य-कर विभाग  
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6/अ0-03-06/2022

पटना, दिनांक-

श्रीमती अनुपम कुमारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), दरभंगा अंचल-2, दरभंगा को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-12.10.2025 से 28.11.2025 तक कुल 48 (अड़तालीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्रीमती कुमारी के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (133-48=85) (पचासी) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-06/2022 441

/पटना, दिनांक- 03/02/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना-800015 /कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), दरभंगा अंचल-2, दरभंगा/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी(स्था0), एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती अनुपम कुमारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), दरभंगा अंचल-2, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।